



HARYANA VIDHAN SABHA

14th Legislative Assembly
August Session 2023

List Of Business

29 August 2023

11:00 AM

1. **QUESTIONS**

- (1) Questions entered in the separate list to be asked and answers given thereupon.

2. **ZERO HOUR**

3. **MOTION UNDER RULE 15**

- (1) -
A
MINISTER To move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.
-

4. **MOTION UNDER RULE 16**

- (1) -
A MINISTER
To move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.
-

5. CALLING ATTENTION NOTICES

(1)

Calling Attention Notice No. 9

Notice given by **Shri Abhay Singh Chautala, MLA.** Regarding the demand of compensation of the crop of Kharif under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna.

(2)

Calling Attention Notice No. 23

Notice given by **Shri Jagbir Singh Malik, ID, MLA.** Regarding problem being faced by General Public for Correction in Family

6. PRESENTATION OF REPORTS OF THE ASSEMBLY COMMITTEES THROUGH NEVA PORTAL

(1)

The Chairperson, Committee on Public Accounts to present the Eighty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2023-24.

7. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE THROUGH NEVA PORTAL

(1)

1. A MINISTER to lay on the Table the Human Resources Department Notification No.01/07/2023-2CC-I, dated the 18th May, 2023, as required under section 26(2) of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018.

(2)

2. A MINISTER to lay on the Table the Citizen Resources Information Department Notification No.2/6/2022-1CRID, dated the 8th August, 2022, as required under section 45(2) of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021.

8. LEGISLATIVE BUSINESS

(1) (Bills for consideration and passing)

(i)

The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023.

A MINISTER

to move that the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the bill be passed.

(ii)

The Haryana Instruments (Control of Noises) Repeal Bill, 2023.

A
MINISTER

to move that the Haryana Instruments (Control of Noises) Repeal Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the bill be passed.

(iii)

3. The Haryana Juvenile Smoking Repeal Bill, 2023.

A
MINISTER

to move that the Haryana Juvenile Smoking Repeal Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the bill be passed.

(iv)

4. The Sonipat Metropolitan Development Authority Bill, 2023.

A
MINISTER

to move that the Sonipat Metropolitan Development Authority Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the bill be passed.

(2) (Bills for introduction, consideration and passing)

(i)

The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2023.

A
MINISTER

to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill;

to move that the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the bill be passed.

(ii)

The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2023.

A
MINISTER

to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill;

to move that the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the bill be passed.

Chandigarh-160001

Date:28/Aug/2023

Rajender Kumar Nandal
Secretary
HARYANA VIDHAN SABHA



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा
अगस्त सत्र 2023

कार्य सूची

29th अगस्त, 2023

11:00:00

1. प्रश्न

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. शून्य काल

3. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

(1)

प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक एक मंत्री नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

4. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

(1)

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।
एक मंत्री

5. ध्यानाकर्षण सूचनाएं

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9 श्री अभय सिंह चौटाला,
एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के
मुआवजे की मांग से संबंधित।

(2)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-23 श्री जगवीर सिंह मलिक,
एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना।

परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष
आने वाली समस्या बारे।

6. नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(1)

लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2023-2024 के लिए लोक लेखा समिति की 88 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

7. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र

(1)

हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों (सेवा की भर्ती एवं शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के
1. एक अनुसार मानव संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या 01/07/2023-2 सी.सी-आई, दिनांकित 18 मई, 2023 मेज पर रखेंगे।
मंत्री

(2)

2. एक हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना
मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 02/06/2022-1 सी.आर.आई.डी, दिनांकित 8 अगस्त, 2022 मेज पर रखेंगे।

8. विधायी कार्य

(1) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा माल और सेवाकर एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार
(संशोधन) विधेयक, 2023. मंत्री किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii)

हरियाणा वाद्य (शोर-नियन्त्रण) एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा वाद्य (शोर-नियन्त्रण) निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार
निरसन विधेयक, 2023. मंत्री किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iii)

हरियाणा किशोर धूम्रपान एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया
निरसन विधेयक, 2023. मंत्री जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iv)

सोनीपत महानगर विकास एक प्रस्ताव करेंगे कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरन्त विचार
प्राधिकरण विधेयक, 2023. मंत्री किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(2) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

(i)

हरियाणा विनियोग
(संख्या 3) विधेयक,
2023.

एक
मंत्री

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा
विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक
पारित किया जाए।

(ii)

हरियाणा विनियोग
(संख्या 4) विधेयक,
2023

एक
मंत्री

हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा
विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक
पारित किया जाए।

Chandigarh-160001
दिनांक:२८ अगस्त २०२३

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा